# राजस्थान सरकार
## निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 2 (ग) (च.वे.)/अलेसे–I/ 9636–37 दिनांक :– 16–10–2015

**आदेश सं. ......114../2015–16**

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.16 (2) एफडी/रूल्स/1998 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में श्री महेश चन्द अग्रवाल लेखाधिकारी (तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी) जिनकी जन्मतिथि 30.06.1955 है एव जिन्होनें लेखाकार के पद पर (सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर) दिनांक 18.04.1978 को कार्यग्रहण किया था तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है को दिनांक 18.04.1996 से लेखाकार पद का द्वितीय चयनित वेतनमान 2000–3500 वेतन श्रंखला संख्या 12 में स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश प्रकरण संख्या 25/94(नया 732/2002) में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर के निर्णय दिनांक 17.02.1999 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर अपील के निर्णयाधीन स्वीकृत की जाती है।

श्री महेश चन्द अग्रवाल लेखाधिकारी (तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी) का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश के पैरा संख्या 10 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृती एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टियां आवश्यक रूप से श्री अग्रवाल की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे की श्री अग्रवाल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1989 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ 2 (ग) (च.वे.)/अलेसे–I/ 9636–37 दिनांक :– 16–10–2015

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

6. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ।
7. श्री महेश चन्द अग्रवाल (सेवानिवृत लेखाधिकारी), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ।
8. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी) वेब साइट पर प्रकाशन हेतु।
10. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

( के.एम. मीणा )
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)